

भाग - I



सैनिक स्कूल अम्बिकापुर

मेण्ड्राकलां, जिला - सरगुजा (छत्तीसगढ़)

निविदा प्रपत्र
श्रेणी - सेवाएं

कार्यबल / श्रमिक (Manpower) की सेवाओं हेतु

संचालन अवधि : 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 21 दिसम्बर 2020
समय - 1100 बजे तक

निविदा पेट्टी खुलने की तिथि - 21 दिसम्बर 2020
समय - 1130 बजे

अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट : रूपये 1,00,000 /-
निविदा प्रपत्र मूल्य - रूपये 100 /-

- टिप्पणी. 1. लिफाफे भाग-I में आवेदन (पृष्ठ क्रमांक 01-09) के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट, निविदा प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेज रखना होगा ।
2. लिफाफे भाग-II में केवल स्व-प्रमाणित दर सूची (पृष्ठ क्रमांक 10) रखना होगा ।



सैनिक स्कूल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन – 07774-261609, फ़ैक्स- 07774-261630, ईमेल – sainikschoolambikapur@rediffmail.com

आवश्यक सूचना एवं निर्देश

निविदा कर्ता कृपया ध्यान दें कि सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र/वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल अम्बिकापुर को प्रेषित करें।

1. निविदा सूचना के अनुसार प्रपत्र की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत की जायेगी। लिफाफा-I में आवेदन के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट, निविदा प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट (यदि निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल के वेबसाईट से डाउनलोड किया हुआ हो तो) एवं अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेज तथा लिफाफा-II में केवल दर सूची ही रखा जायेगा।
3. निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय या फिर उससे पहले सैनिक स्कूल अम्बिकापुर कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर किसी भी कार्यालयिन दिवस पर 0900 बजे से 1330 बजे के मध्य प्रस्तुत की जा सकती है।
4. निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जो सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित हो) में ही आवेदन करना अनिवार्य है, निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की छेड़खानी, प्रारूप में परिवर्तन या किसी अन्य प्रकार की प्रविष्टि करने पर निविदा प्रपत्र निरस्त करने के साथ ही निविदा कर्ता/फर्म के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा कर्ता का सील मुद्रा व हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
5. सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में निविदा दर समस्त टैक्स आदि के साथ बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के स्कूल में पहुँचकर, सेवा देने सहित होनी चाहिये।
6. सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र में ही ₹ 20/- का कोर्ट टिकट चस्पा कर नोटरी से सत्यापित कराकर जमा करना अनिवार्य है। स्कूल की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त (जिसमें निविदा कर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुये स्वयं का हस्ताक्षर कर) अनिवार्य रूप से निविदा के साथ जमा करें।
7. यदि निविदा प्रपत्र स्कूल की वेब साईट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य (₹ 100/-) की राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदा के साथ अमानत राशि (संबंधित कार्य/अनुबंध/सामग्री प्रदाय हेतु निविदा में उल्लेखित अमानत राशि के अनुसार) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
9. यदि निविदा कर्ता को उक्त सेवा प्रदाय करने का अनुभव है तो उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. फर्म से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि स्वहस्ताक्षरित सील मुद्रा सहित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
11. प्राचार्य, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर किसी भी निविदा को किसी भी समय, किसी भी स्तर पर, निविदा प्रदान करने के पश्चात भी बिना कोई कारण बताये निरस्त या लंबित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

Page 2 of 10

25/11/2020

25/11/2020

प्रशासनिक अधिकारी
प्राचार्य कृते

निविदा कर्ता के हस्ताक्षर एवं सीलमुद्रा



सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन – 07774-261609, फ़ैक्स- 07774-261630, ईमेल – sainikschoolambikapur@rediffmail.com

निविदा कर्ता का विवरण प्रपत्र

कार्यबल / श्रमिक (Manpower) की सेवाओं हेतु

1. निविदा कर्ता का पूरा नाम :
2. निविदा कर्ता के पिता/पति का पूरा नाम :
3. फर्म का पूरा नाम :
4. निविदा कर्ता के निवास का पूर्ण पता :
5. फर्म का पूर्ण पता :
6. फर्म का दूरभाष नं. :
7. निविदा कर्ता का व्यक्तिगत मोबाईल नं. :
8. ई-मेल पता (यदि हो तो) :
9. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का माध्यम : स्कूल कार्यालय / स्कूल वेबसाइट / CPPP पोर्टल
10. जी.एस.टी. आई.एन.(GST IN) नम्बर :
11. पैन (PAN) कार्ड नम्बर :
12. आधार (AADHAR) नम्बर :
13. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित व्यवसाय : (क) प्रमाण पत्र नम्बर
स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र नम्बर (Business (ख) वैधता अवधि से तक
Establishment Registration Certificate Number)
14. श्रम कार्यालय का पंजीयन नम्बर (Labour :
- Office Registration Number)
15. EPF पंजीयन नंबर (EPF Registration :
- Number) व वैधता अवधि दिनांक (Validity)
16. ESIC पंजीयन नंबर (ESIC Registration :
- Number) व वैधता अवधि दिनांक (Validity)
17. MSME/NSIC पंजीयन नंबर (MSME/NSIC :
- Registration Number) व वैधता अवधि दिनांक
18. शपथ पत्र दिनांक :
19. अनुभव प्रमाण पत्र :
20. बैंक खाते का विवरण : बैंक : खाता नंबर.....IFSC.....

Recent
Passport
Photo

21. अमानत राशि (EMD) व निविदा प्रपत्र मूल्य का विवरण :-

अमानत राशि का विवरण		निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण
(क) जारी कर्ता बैंक का नाम	:
(ख) राशि रूपये	:
(ग) डिमांड ड्राफ्ट/रसीद क्र.	:
(घ) दिनांक	:

22. मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ ली हैं। निविदा प्रपत्र की कुल पृष्ठ संख्या है एवं मेरे द्वारा पृष्ठ क्रमांक 04 के कंडिका 3 में दिए गए सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।



सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन - 07774-261609, फ़ैक्स- 07774-261630, ईमेल - sainikschoolambikapur@rediffmail.com

निविदा के सामान्य नियम एवं शर्तें

कार्यबल / श्रमिक (Manpower) की सेवाओं हेतु

1. सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पक्ष में अधोहस्ताक्षरी निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं, जो निर्धारित दिनांक एवं समय या उससे पहले सैनिक स्कूल अम्बिकापुर कार्यालय में डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती हैं। ऐसे निविदा कर्ता जिनकी कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाओं की स्वयं की एजेंसी है, केवल वे ही निविदा दे सकते हैं। बिचौलिए/एजेंट स्वीकार्य नहीं होंगे। ऐसे ही निविदा कर्ता कृपया आवेदन करें जो सैनिक स्कूल की आवश्यकतानुसार कार्यबल/श्रमिक (Manpower) त्वरित उपलब्ध करा सकते हैं। स्थानीय निविदा कर्ता को प्राथमिकता दी जा सकती है।

2. निविदाएं मजबूत लिफाफे में सेवाप्रदाता का पूर्ण पता एवं "कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाओं हेतु निविदा" स्पष्ट अक्षरों में अंकित करके प्रस्तुत की जाएगी। निविदा का नाम एवं निविदा कर्ता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित न होने पर लिफाफा नहीं खोला जाएगा।

3. लिफाफे भाग-1 में निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार (जो लागू हो) स्व-प्रमाणित दस्तावेज व अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है, जिसके अभाव में निविदाएं निरस्त की जा सकती हैं।

(क) वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वैध जी.एस.टी (GST) पंजीयन नम्बर की प्रतिलिपि।

(ख) पैन कार्ड की प्रतिलिपि।

(ग) आधार कार्ड की प्रतिलिपि।

(घ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित व्यवसाय स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र (Business Eastablishment Registration Certificate) की प्रतिलिपि।

(ङ) श्रम कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र (Labour Officer Registration Certificate) की प्रतिलिपि।

(च) EPF पंजीयन प्रमाण पत्र (EPF Registration Certificate) की प्रतिलिपि।

(छ) ESIC पंजीयन प्रमाण पत्र (ESIC Registration Certificate) की प्रतिलिपि।

(ज) MSME/NSIC पंजीयन प्रमाण पत्र (MSME/NSIC Registration Number) की प्रतिलिपि।

(झ) बैंक पासबुक (Bank Passbook) के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि।

(ञ) पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की प्रतिलिपि।

(ट) निर्धारित प्रारूप में दिए गए शपथ-पत्र (परिशिष्ट 'क') में ही 20 रुपये का कोर्ट टिकट चस्पा कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराके प्रस्तुत करना होगा।


(ठ) "प्राचार्य सैनिक स्कूल अम्बिकापुर" के पक्ष में देय अमानत राशि हेतु विज्ञापित निर्धारित राशि रुपये 1,00,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जिसके पीछे निविदा कर्ता का नाम, पूरा पता, मोबाईल नं. तथा निविदा का विवरण स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।

(ड) स्कूल के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 100/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसके पीछे निविदा कर्ता का नाम, पूरा पता, मोबाईल नं. तथा निविदा का विवरण स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए। यदि निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल अम्बिकापुर कार्यालय से खरीदा गया है तो सैनिक स्कूल अम्बिकापुर से प्राप्त रसीद संलग्न करें।

(ढ) सैनिक स्कूल में सम्पर्क करने हेतु अधिकृत किए गए व्यक्ति की जानकारी।

(ण) यदि निविदा कर्ता को उक्त सेवा प्रदाय करने का अनुभव है तो उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।


25.11.2020
Page 4 of 10


25.11



निविदा कर्ता के हस्ताक्षर एवं सीलमुद्रा

4. सेवा हेतु समस्त दरें सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए समस्त करों सहित होनी चाहिए । किसी भी प्रकार का टैक्स, अनुमोदित दर के अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत किए गए देयक से विद्यालय द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. (TDS) की कटौती की जाएगी ।
5. निविदा कर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि संचालन अवधि समाप्त होने तक सैनिक स्कूल प्रबंधन के पास सुरक्षा निधि (Security Deposit) के रूप में सुरक्षित रहेगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज विद्यालय द्वारा देय नहीं होगा । सफलतापूर्वक सेवाएं पूरी होने, नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट (No Demand Certificate) व निविदा कर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात ही उक्त राशि वापस की जाएगी । सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी होने की स्थिति में प्रशासन द्वारा अमानत राशि राजसात (जब्) की जाएगी । अंतिम रूप से निविदा स्वीकार नहीं होने की स्थिति में उनकी अमानत राशि निविदा कर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जाएगी ।
6. निविदा प्रपत्र को बेहद सावधानी से भरें। प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट-छांट अथवा ओव्हर राइटिंग नहीं होनी चाहिए । यदि कोई आंकड़ा सुधारना अत्यंत आवश्यक है तो उसे केवल सीधी लकीर से काटकर नया आंकड़ा बगल में लिख कर हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है ।
7. अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी । अन्य किसी भी स्वरूप में प्राप्त अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी । डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदा कर्ता का पूरा नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नंबर एवं निविदा का विवरण जिसके लिए निविदा डाली जा रही है, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।
8. कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाएं सैनिक स्कूल अंबिकापुर की आवश्यकतानुसार पत्र अथवा स्कूल दूरभाष पर सूचना के आधार पर होगी । कार्यबल/श्रमिक प्रदान करने में विलम्ब, कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने या सेवाएं प्रदान नहीं करने पर अनुबंध की शर्तों के आधार पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा ।
9. श्रमिकों को 8-8 घण्टे के शिफ्ट में कार्य करना होगा एवं आवश्यक होने पर जब तक दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है या अगले शिफ्ट का श्रमिक कार्य पर उपस्थित नहीं होता है तब तक कार्य करना पड़ सकता है।
10. श्रमिकों के मानदेय का भुगतान, श्रमिकों को सीधे ही शासकीय दर/सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दैनिक दर के आधार पर सैनिक स्कूल अंबिकापुर के प्रतिनिधी की उपस्थिति में निविदा कर्ता एजेंसी के द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार को केवल निविदा के भाग-11 में निर्धारित किये गये सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
11. श्रमिकों के मानदेय के भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के करों का भुगतान निविदा कर्ता को करना होगा। श्रमिकों के भुगतान के लिए किसी प्रकार की अनुमति/अनापत्ति आदि की आवश्यकता होती है तो संबंधित अनुमति/अनापत्ति का निवारण ठेकेदार को करना होगा। शासकीय नियमानुसार श्रमिकों को EPF, ESIC आदि का भुगतान भी ठेकेदार को करना होगा।
12. ठेकेदार या फिर उनके प्रतिनिधी/समन्वयक को श्रमिकों के कार्य का विवरण प्रतिदिन सैनिक स्कूल अंबिकापुर के क्वार्टर मास्टर के माध्यम से स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी को देनी होगी।
13. माह में हुई कुल कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाओं का वास्तविक देयक श्रमिकों को प्रत्येक माह के 05 तारीख तक ठेकेदार को स्वयं करना अनिवार्य है । मजदूरों को भुगतान करने के पश्चात दो प्रतियों में बिल बनाकर ठेकेदार को कार्यालय में जमा करना होगा। स्कूल द्वारा समस्त बिलों के जमा होने के 07 दिन के अन्दर NEFT/RTGS या एकाउन्ट देयी चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा ।
14. श्रमिकों के वेतन का भुगतान ठेकेदार को सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रशासन द्वारा निर्देशित किये गये कर्मचारी के समक्ष डिजीटल माध्यम जैसे चेक, सीधे खाते में अंतरण आदि के द्वारा करना होगा। उक्त भुगतान व कार्य का जानकारी ठेकेदार को समस्त विवरणों सहित सैनिक स्कूल प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

15. ठेकेदार या फिर उनके प्रतिनिधी/समन्वयक को श्रमिकों के उपस्थिति, कार्य तथा भुगतान आदि का रजिस्टर एवं दस्तावेज प्रतिदिन सैनिक स्कूल प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

16. निविदा कर्ता को समस्त दरें संचालन अवधि तक अपरिवर्तनीय बनाकर रखनी होगी। शुल्क वृद्धि अथवा सेवा पूर्ण करने के पूर्व अग्रिम या आंशिक भुगतान की पात्रता नहीं होगी। शासकीय दर/सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दैनिक भत्ते के दर में परिवर्तन होने की स्थिति के अलावा किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों के मानदेय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

17. सभी प्रकार के बकाया के भुगतान, सभी खातों के ऑडिट होने एवं सभी प्रकरणों के निराकरण के पश्चात ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

18. सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रशासन श्रमिकों के मध्य किसी भी प्रकार की विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा कर्ता एजेंसी की ये जिम्मेदारी रहेगी की वे श्रमिकों के मध्य समन्वय बनाये रखे। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निविदा कर्ता एजेंसी स्वयं ही जिम्मेदार रहेगी।

19. निविदा कर्ता एजेंसी को अपने सभी श्रमिकों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने, जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं पहचान आदि का भली भांति परिक्षण करने के पश्चात ही नियुक्त करे। सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा माँगे जाने पर श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को ठेकेदार को जमा करना होगा। किसी भी प्रकार की अनचाही/अपराधिक घटना के लिए एजेंसी जिम्मेदार रहेगी। यदि ऐसी कोई दूर्घटना होती है तो निविदा कर्ता एजेंसी को मामले के न्यायिक निराकरण में पुलिस/न्यायालय का सहयोग करना पड़ेगा।

20. किसी भी प्रकार की अपराधिक पृष्ठभूमि वाले श्रमिक की नियुक्ति सैनिक स्कूल अंबिकापुर में नहीं की जा सकती। यदि कभी ऐसा प्रकरण पाया जाता है तो निविदा निरस्त करने एवं फर्म/एजेंसी को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने के साथ-साथ निविदाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

21. निविदा कर्ता द्वारा निवेदित की गई दरें 31 दिसम्बर 2021 तक बनाई रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर प्राचार्य सैनिक स्कूल अंबिकापुर द्वारा आपकी निविदा को तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि हेतु किया गया निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. यदि निविदा कर्ता निर्धारित समयावधि में सेवा/श्रमिक प्रदान करने में असफल पाया जाता है तो जमा अमानत राशि जब्त की जाएगी या निविदा निरस्त की जा सकती है तथा उक्त सेवा खुले बाजार से ली जाएगी जिसकी अंतर की राशि अमानत राशि से कटौती की जाएगी। अंतर की राशि अमानत राशि से अधिक होने की स्थिति में भुगतान निविदा कर्ता से ही वसूली की जाएगी।

✓ 23. सेवा शुल्क की दर दशमलव के पश्चात दो अंको तक ही स्वीकृत की जाएगी।

✓ 24. MSME/NSIC पंजीकृत संस्थाओं को नियमानुसार अमानत राशि में छुट दी जा सकती है।

25. निविदाएं निश्चित समय एवं तारीख को अथवा उसके पूर्व निविदा पेट्टी में डाली जा सकती है। जो निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह खोली नहीं जायेगी तथा मूलतः निविदा कर्ता को वापस लौटा दी जायेगी। अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक विभाग में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब के लिए स्कूल प्रशासन जवाबदार नहीं होगा एवं ऐसे प्रकरण में निविदा कर्ता की कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

26. किसी भी स्तर पर फर्जी दस्तावेज या स्कूल द्वारा निर्धारित प्रारूप में किसी प्रकार की छेड़छाड़ पाए जाने की स्थिति में निविदाएं निरस्त करने के साथ-साथ निविदाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। स्कूल निविदाकर्ता की कार्यबल उपलब्ध कराने की क्षमता व उसकी वर्तमान एजेंसी का अवलोकन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

27. निविदा प्रक्रिया में सैनिक स्कूल अम्बिकापुर का कोई भी कर्मचारी या उसके परिजन भाग नहीं ले सकेंगे। कोई भी ऐसी संस्था जो किसी भी प्रकार से किसी शासकीय/सैनिक स्कूल द्वारा काली सूची में डाली गई है स्वीकार नहीं होगी। निविदा कर्ता स्वयं ही कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाओं के एजेंसी का मालिक होना अनिवार्य है।

28. स्कूल निविदा कर्ता के समान कार्य के अनुभव के आधार पर स्कूल हित में किसी भी निविदाकार से कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाएं लेने का निर्णय ले सकता है। किसी भी स्थिति में स्कूल द्वारा किसी भी सेवा के लिये निविदा कर्ता को किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय या कोई अन्य प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।

29. निविदा कर्ता द्वारा यदि संतोषप्रद सेवाएं नहीं प्रदान की जाती है या किसी भी प्रकार की शिकायत आती है या फिर फर्म द्वारा स्कूल के माँग के अनुरूप श्रमिक/कार्यबल प्रदाय नहीं की जाती है या अनुबंध निर्धारित अवधि से पहले खत्म किया जाता है तो स्कूल के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि निविदा कर्ता की अमानत की राशि को जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर सकता है एवं नियमानुसार फर्म के विरुद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

30. निविदा कर्ता को स्कूल द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा एवं इस संबंध में स्कूल से जारी होने वाले अन्य नियम भी लागू होंगे। सैनिक स्कूल परिसर के अंदर कोई भी श्रमिक गुटखा, सिगरेट, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा और ना ही कार्यस्थल पद मादक पदार्थों का सेवन करके आयेगा। कोई भी श्रमिक अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु परिसर का प्रयोग नहीं करेगा ना ही अपने रिश्तेदारों को व्यक्तिगत कार्य हेतु लेकर आयेगा। अपने कार्यस्थल के अलावा कोई भी श्रमिक अनावश्यक रूप से कहीं नहीं जायेगा।

31. आवश्यकतानुसार निविदा में दर्शायी गई सेवा दरों में निगोसिएशन भी किया जा सकता है। निविदा कर्ता को स्कूल द्वारा निविदा मान्य/स्वीकृत होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार निगोसिएशन एवं अनुबंध के लिए स्कूल में बुलाए जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निविदा में दर्शायी गई दरों में समस्त व्यय सम्मिलित माना जायेगा।

32. सेवा/श्रमिक प्रदाय करने के दौरान यदि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण आदेशित कार्य सम्पन्न करने में बाधा उत्पन्न होती है तो निविदा कर्ता के आवेदन के परीक्षणोपरांत, प्राचार्य, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के समक्ष स्वीकृति प्राप्त कर, निविदा कर्ता के आवेदन पर समयवृद्धि (कटौति के बिना या कटौति के साथ) मान्य की जा सकेगी। परंतु निविदा कर्ता को इस विलंब के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। अवधि में वृद्धि (कटौति के बिना या कटौति के साथ) किये जाने का अधिकार प्राचार्य, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पास सुरक्षित है।

33. निविदाकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी श्रमिक सैनिक स्कूल परिसर से कोई सामान लेकर नहीं जाएगा। श्रमिकों के कार्य के दौरान यदि ऐसी कोई घटना होती है तो चोरी के सामग्री के मूल्य का भुगतान निविदाकर्ता को करना होगा। निविदाकर्ता को अपने सभी कर्मचारियों को एक जैसा यूनीफार्म देना होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी यदि कार्य हेतु अयोग्य पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों को निकालने का अधिकार सैनिक स्कूल प्रबंधन को हमेशा रहेगा।

34. सैनिक स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की दूर्घटना होने पर श्रमिकों को किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं दी जायेगी। किसी भी प्रकार की दूर्घटना की सारी खर्च व जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। निर्धारित मजदूरों से कम उपस्थित होने पर, उपस्थित मजदूरों के हिसाब से ही भुगतान होगा।

35. श्रमिकों के मानदेय प्रदान करने संबंधि किसी भी प्रकार की कानूनी आपत्ति जैसे- न्यूनतम दैनिक वेतन, ईपीएफ, ईएसआई आदि की जिम्मेदारी निविदा एजेंसी की होगी।

36. निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने के संबंध में समस्त अधिकार प्राचार्य सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पक्ष में सुरक्षित रहेंगे। निविदाएँ केवल L1 होने से मान्य नहीं होगी, सेवा की गुणवत्ता तथा अनुभव के आधार पर निविदाएँ परखी जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर प्राचार्य, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर को लगता है कि स्कूल हित में निविदाएँ निरस्त या लंबित करनी है या नियमों या विवरणों में परिवर्तन करना है तो प्राचार्य, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर ऐसा करने के लिए अधिकार रखते हैं एवं निविदा प्रदान करने के पश्चात भी संशोधन कर सकते हैं।

37. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदा कर्ता को निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है एवं निविदा कर्ता फर्म पर बंधनकारी है।

38. निविदा कर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर व सील मुद्रा लगाना अनिवार्य है। निविदा कर्ता को सभी दस्तावेज एक लिफाफे में रखना है और लिफाफे के ऊपर "कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाओं हेतु (भाग- I)" लिखना है तथा दर सूची अलग लिफाफे में रखना है और लिफाफे के ऊपर "कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाओं हेतु (भाग- II)" लिखना है।

49. निविदाएँ दो लिफाफे भाग-I और भाग-II में जमा की जाएँगी। निविदा खोलने के समय पहले भाग-I खोला जायेगा। यदि भाग-I के सभी दस्तावेज संतोषजनक होंगे, तभी भाग-II को खोला जायेगा अन्यथा भाग-I के खारिज होने पर निविदा की दावेदारी रद्द कर दी जायेगी। अतः निविदा के लिए आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर भाग-I और भाग-II लिखना अत्यन्त आवश्यक है, यदि भाग-I और भाग-II अंकित नहीं है तो निविदा के लिए आवेदित लिफाफे खोले नहीं जाएँगे।


25.11.2020 

शपथ-पत्र

(रु 20 का कोर्ट टिकट चस्पा कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया हुआ)

मैं आत्मज
 उम्र निवासी निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि -

1. यह कि मेरी फर्म/एजेंसी जिसका पूरा नाम है, तथा फर्म (पता)..... में स्थित है। मेरी फर्म को कार्यबल/श्रमिक (Manpower) की सेवाओं से संबंधित व्यवसाय करने का सर्टिफिकेट प्राप्त है व आज दिनांक तक वैध है।
2. मेरे फर्म/कंपनी का जीएसटी टीन नं. है।
3. यह कि मैं/मेरी फर्म किसी भी विभाग में आज दिनांक तक काली सूचीबद्ध (Black Listed) नहीं है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य नहीं है। मैं ठेका मिलने पर उसे उपकिराये (Sublet) पर नहीं करूँगा।
4. मैं माँग के अनुरूप सेवा/श्रमिक प्रदान करने में सक्षम हूँ तथा सेवा करने का अधिकार मैं किसी अन्य फर्म को हस्तान्तरित नहीं करूँगा।
5. मैं निर्धारित समय के अन्दर त्वरित सेवा/श्रमिक देने में सक्षम हूँ। यदि मेरे गुणवत्ता विहीन सेवा/श्रमिक प्रदाय की जाती है तो स्कूल द्वारा दिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
6. यह कि स्कूल द्वारा दी गई समस्त विशेष व सामान्य नियम-शर्त का मेरे द्वारा भली भाँति पठन कर लिया गया है एवं समझ लिया गया है। मुझे समस्त विशेष व सामान्य नियम-शर्तें मान्य हैं एवं निविदा कर्ता/फर्म पर बंधनकारी है।
7. यह है कि मेरे एवं मेरे फर्म के विरुद्ध किसी भी थाना अभिलेख में कोई भी आपराधिक प्रकरण / शिकायत दर्ज नहीं है।
8. मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा में यदि किसी भी प्रकार की दस्तावेजों/जानकारी में कमी होगी या फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य होगी एवं नियत तिथि व समय के पश्चात् मेरी निविदा स्कूल को प्राप्त होती है या स्कूल द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्तें, दिशा-निर्देश का यदि मैंने पालन नहीं किया है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी एवं स्कूल प्रशासन का कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।


उपर्युक्त जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है।

दिनांक :-

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

यह कि मैं शपथकर्ता, उपरोक्तानुसार शपथ पत्र आज दिनांक को बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश-हवास में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर रहा हूँ।


 25.11.2020




हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

भाग - II

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन - 07774-261609, फ़ैक्स- 07774-261630, ईमेल - sainikschoolambikapur@rediffmail.com



दर सूची

कार्यबल / श्रमिक (Manpower) की सेवाओं हेतु

नोट : निम्नलिखित दरें समस्त करों सहित होनी चाहिए। अनुमोदित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

Sl No.	Type of Manpower (श्रमिक / कार्यबल का प्रकार)	Remarks (विशेष जानकारी / टिप्पणी)	Service Charge in Percentage (सेवा शुल्क प्रतिशत) (निविदा कर्ता फर्म द्वारा भरा जाये)
1	अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)	शासकीय दर/सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दर के आधार पर श्रमिकों का भुगतान सैनिक स्कूल के प्रतिनिधी की उपस्थिति में किया जायेगा।%
2	कुशल श्रमिक (Skilled Labour)	शासकीय दर/सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दर के आधार पर श्रमिकों का भुगतान सैनिक स्कूल के प्रतिनिधी की उपस्थिति में किया जायेगा।%

- श्रमिकों के मानदेय का भुगतान, शासकीय दर/सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दैनिक दर के आधार पर निविदा कर्ता एजेंसी को सैनिक स्कूल के प्रतिनिधी की उपस्थिति में किया जायेगा। किसी भी स्थिति में किसी भी श्रमिक को निर्धारित दर से कम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- श्रमिकों/कार्यबलों को शासकीय नियमानुसार ईपीएफ(EPF), ईएसआईसी (ESIC) आदि का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। ठेकेदार को केवल उपरोक्त निर्धारित किये गये दर के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
- लेखा परीक्षण में गड़बड़ी पाये जाने या किसी प्रकार की विवाद के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा एवं सभी विवादों से ठेकेदार को स्वयं निपटना होगा सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की किसी प्रकार भूमिका/जिम्मेदारी नहीं होगी।
- स्कूल प्रशासन द्वारा आदेशित करने पर संचालन अवधि के बाद अगले तीन महीने तक उपरोक्त दरों पर सेवा/श्रमिक प्रदान करूँगा।
- स्कूल द्वारा मांगे जाने पर ठेकेदार को उक्त सेवा/श्रमिक दिए गए दरों पर उपलब्ध कराना होगा अन्यथा स्कूल प्रशासन खुले बाजार से सेवा/श्रमिक लेने के लिये स्वतंत्र होगा।